न्यायिक सुधार

प्रलिम्सि के लिये:

भारतीय न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, ई-कोर्ट परियोजना, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, केंद्र प्रायोजित योजना, लोक अदालतें, फास्टर, अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग, ADR तंत्र, अखिल भारतीय न्यायिक सेवाएँ (AIJS)।

मेन्स के लिये:

भारतीय न्यायपालिका में न्यायिक सुधार, भारतीय न्यायपालिका से संबंधित वर्तमान प्रमुख मुद्दे, भारत में न्यायिक सुधार से संबंधित प्रमुख पहल।

न्यायिक सुधार क्या हैं?

- **परिचय:**
  - न्यायिक सुधार **किसी देश की कानूनी प्रणाली में परिवर्तन हैं**, जिसमें न्यायालय प्रणाली, कानून और प्रक्रियाएँ शामिल हैं, ताकि **न्याय प्रणाली को अधिक कुशल, पारदर्शी और प्रभावी** बनाया जा सके।
  - इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय प्रणाली **कानून के शासन को** कायम रखे तथा सभी नागरिकों **को निष्पक्ष एवं समय पर न्याय प्रदान** करना।
- **उदाहरण:**
  - **न्यायपालिका की स्वतंत्रता** बढ़ाना।
  - न्याय प्रणाली की **निष्पक्षता में** सुधार करना।
  - न्याय की **गति** बढ़ाना।

भारत में न्यायिक सुधारों की क्या आवश्यकता है?

- **लंबित मामलों की संख्या:**
  - **विश्व में सबसे ज़्यादा लंबित मामले** भारत में हैं। लंबित मामलों और न्याय के प्रशासन एवं वितरण में देरी **भारतीय न्यायपालिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती** है।
  - वर्ष 2024 तक न्यायपालिका के सभी प्रकार और स्तरों पर लंबित मामलों की कुल संख्या **51 मिलियन (5.1 करोड़) से अधिक हो गई, जिसमें 169,000 से अधिक अदालती मामले शामिल हैं जो ज़िला और** उच्च न्यायालयों में 3 दशकों (30 वर्ष) से अधिक समय से लंबित हैं।
  - उल्लेखनीय है कि अकेले **ज़िला अदालतों में इनमें से** लगभग 87% मामले या लगभग 45 मिलियन (4.5 करोड़) लंबित हैं, जो ज़मीनी स्तर पर बड़ी ज़िम्मेदारी को दर्शाता है।
  - नीति आयोग **के** 2018 के रणनीति पत्र के अनुसार, उस समय मामले के निपटान की दर को देखते हुए, मौजूदा लंबित मामलों को निपटाने में 324 वर्ष से अधिक समय लगने का अनुमान था, जो उस समय 29 मिलियन था।
  - ऐसा अनुमान है कि **लंबित मामलों के कारण भारत को** अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) **पर 1.5%-2% का नुकसान** होगा।
  - **विश्व न्याय परियोजना** द्वारा प्रकाशित **विधि नियम सूचकांक 2023** में भारत की रैंकिंग इन न्यायिक विलंबों को प्रतिबिंबित करती है, जिसमें देश को नागरिक न्याय में **142 देशों में से 111वें स्थान पर तथा आपराधिक न्याय में 93वें स्थान** पर रखा गया है।
  - इसके अलावा भारतीय न्यायालयों में **किसी मामले के** निपटारे में औसतन **3-5 वर्ष का समय लगता** है और कुछ मामलों में दशकों तक का समय लग जाता है। इस देरी से न केवल वादियों (Litigants) को समय पर न्याय नहीं मिल पाता, बल्कि न्यायिक प्रणाली पर से लोगों का भरोसा भी खत्म होता है।
- **न्यायिक रिक्तियाँ:**
  - उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में न्यायाधीशों की कमी एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है, जिससे लंबित मामलों की संख्या में अतिशय वृद्धि हो रही है।
  - जनवरी 2024 भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं जिनमें न्यायाधीशों के स्वीकृत पद 1,114 हैं, परंतु वर्तमान में केवल 783 पद ही भरे हुए हैं। वर्ष 2023 तक ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों में 5,000 से अधिक रिक्तियाँ बताई गई हैं।
  - इस कमी से न केवल मौजूदा न्यायाधीशों पर काम का बोझ बढ़ता है, बल्कि पूरी न्यायिक प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है। प्रायः न्यायपालिका

और कार्यपालिका के बीच मतभेदों के कारण **नियुक्तियों में देरी से यह समस्या और भी जटिल** हो जाती है।

- **आधारिक संरचना और तकनीकी अंतराल:**
  - **एक अध्ययन पर आधारित विधि एवं न्याय मंत्रालय** की हालिया रिपोर्ट (2024) में देश भर की ज़िला अदालतों के आधारिक संरचना में महत्त्वपूर्ण कमियों का खुलासा किया गया है, जो न्याय के कुशल वितरण में बाधा उत्पन्न कर रही हैं।
  - 10 राज्यों के 20 ज़िला न्यायालयों में किये गए एक अध्ययन में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और प्रशासनिक कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण IT आधारिक संरचना के अंतर को उजागर किया गया है। निष्कर्षों से पता चलता है कि सर्वेक्षण किये गए न्यायिक अधिकारियों में से **केवल 45%** के पास न्यायालय कक्षों में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले सुविधाओं तक पहुँच है, जबकि कुछ स्थानों पर इसकी स्थापना का कार्य चल रहा है।
  - इसके अतिरिक्त लगभग **32.7% अधिकारियों ने बताया कि** ज़िला न्यायालय परिसरों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का अभाव है, जिससे विशेष रूप से जेलों में प्रभावी वर्चुअल कार्यवाही सीमित हो रही है।
  - इसने ज़िला न्यायालयों में महत्त्वपूर्ण **बुनियादी ढाँचे की** कमी को भी उजागर किया गया है- 39% न्यायालय कक्षों में अग्नि सुरक्षा उपकरणों का अभाव हैं, 29.3% में समर्पित अहलमद कक्षों का अभाव हैं तथा 36.3% में पर्याप्त बैठने की व्यवस्था नहीं है। सहायक कर्मचारियों को सीमित सुविधाएँ प्राप्त हैं, केवल 14.6% पुरुष और 10.7% महिला कर्मचारियों के पास सामान्य कमरे हैं तथा 73.7% के पास संलग्न शौचालय नहीं हैं। इसके अलावा 41% कर्मचारियों के पास कंप्यूटर और प्रिंटर की सुविधा नहीं है। परिवहन संबंधी समस्याएँ बनी हुई हैं, 44.5% न्यायिक अधिकारी आधिकारिक कर्तव्यों के लिये निजी वाहनों पर निर्भर हैं, और केवल 50.4% सरकारी आवास में रहते हैं।
  - यद्यपि [ई-कोर्ट](#) परियोजना ने कुछ प्रगति की है, लेकिन इसका कार्यान्वयन, विशेषकर निचली अदालतों और ग्रामीण क्षेत्रों में, असंगत है।
- **न्यायिक जवाबदेही का अभाव:**
  - **एक मज़बूत न्यायिक जवाबदेही** तंत्र की अनुपस्थिति लंबे समय से चिंता का विषय रही है, जो संभावित रूप से जनता के विश्वास को प्रभावित करती है। न्यायाधीशों को हटाने के लिये वर्तमान महाभियोग प्रक्रिया का उपयोग शायद ही कभी किया जाता है और महाभियोग से इतर मुद्दों को संबोधित करने के लिये यह अपर्याप्त है।
  - यद्यपि [राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग](#) **(National Judicial Appointments Commission- NJAC) का** उद्देश्य नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना था, लेकिन 2015 में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने इसे रद्द कर दिया, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता बनाम जवाबदेही पर बहस शुरू हो गई।
  - कथित [भ्रष्टाचार](#) के मामलों और सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्तियों को लेकर विवादों ने न्यायिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की मांग को तेज़ कर दिया है।
- **न्याय तक पहुँच में बाधाएँ:**
  - **कानूनी पहुँच में सुधार के प्रयासों के बावजूद, न्याय में बाधाएँ महत्त्वपूर्ण बनी हुई हैं, खासकर हाशिए के समुदायों के लिये। पिछले एक दशक में विचाराधीन कैदियों** की संख्या में वृद्धि हुई है, वर्ष **2022 तक भारत की जेलों में बंद कैदियों की संख्या में 76% की वृद्धि हुई है**, जिनमें से कई वंचित समुदायों से हैं जिन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है।
  - इसके अतिरिक्त **मुकदमेबाजी की उच्च लागत, जटिल प्रक्रियाएँ** और **भाषा संबंधी बाधाएँ** अक्सर लोगों को कानूनी सहायता लेने से रोकती हैं। हालाँकि कानूनी सहायता उपलब्ध है, लेकिन इसका कम उपयोग किया जाता है, 1995 में [राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण](#) **(NALSA)** की स्थापना के बाद से केवल 15 मिलियन लोग ही इससे लाभान्वित हुए हैं, जबकि भारत की 80% से अधिक आबादी सहायता के लिये योग्य है।
- **प्रतिनिधित्व और विविधता:**
  - न्यायपालिका में विविधता का अभाव है, विशेषकर लिंग, जाति और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के संदर्भ में।
  - अगस्त 2024 तक [उच्च न्यायालयों](#) और [सर्वोच्च न्यायालय](#) में महिलाओं की संख्या क्रमशः केवल 14% और 9.3% थी। उच्च न्यायालयों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व असमान है, कुछ राज्यों में कोई महिला न्यायाधीश नहीं है या केवल एक है।
  - केंद्रीय कानून मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2018 और 2022 के बीच नियुक्त **उच्च न्यायालय** के **79% न्यायाधीश सामान्य श्रेणी** से थे, जो सीमित न्यायिक विविधता को दर्शाता है।
    - 537 नियुक्तियों में से केवल 11% OBC श्रेणी से, 2.8% SC से, 1.3% ST से और 2.6% अल्पसंख्यक समुदायों से थीं, जो हाशिए पर पड़े समूहों के कम प्रतिनिधित्व को रेखांकित करता है।
- **न्यायिक अतिक्रमण और सक्रियता:**
  - एक महत्त्वपूर्ण मामला **अनूप बरनवाल मामला (2023)** से संबंधित है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने **निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर निर्णय** सुनाया था, जिसमें एक चयन समिति का गठन किया गया था जिसमें [प्रधानमंत्री](#), नेता प्रतिपक्ष और [भारत के मुख्य न्यायाधीश](#) शामिल थे।
  - आलोचकों का तर्क है कि यह निर्णय कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करता है तथा भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे में शक्ति संतुलन को परिवर्तित करता है।
- **निर्णयों का प्रवर्तन:**
  - न्यायालय के आदेशों और निर्णयों को प्रभावी ढंग से प्रवर्तित करने की चुनौती एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई है। बड़ी संख्या में न्यायालय के आदेश, विशेषकर सरकारी निकायों के विरुद्ध दिये गए आदेशों का प्रवर्तन नहीं होता।
    - उदाहरण के लिये यमुना नदी को साफ करने के लिये सरकार को निर्देश देने वाले अनेक न्यायालयी आदेशों के बावजूद, प्रदूषण का स्तर चिंताजनक रूप से उच्च बना हुआ है। इससे न केवल न्यायालयों का अधिकार कमज़ोर होता है, बल्कि उन वादियों को भी न्याय से वंचित किया जाता है, जिन्होंने अपने मामलों को सफलतापूर्वक अग्रेषित किया है।

भारत में न्यायिक सुधार हेतु क्या पहल की गई हैं?

- **न्याय प्रतपिादन और वधिकि सुधार के लयि राष्ट्रीय मशिन:**
  - इसे अगस्त 2011 में शुरू कयिा गया था, इसका उद्देश्य संरचनात्मक परविर्तनों और प्रदर्शन मानकों के माध्यम से उत्तरदायत्वि में सुधार करते हुए **वलिंबता और शेष मामलों को कम करके न्याय तक अभगिम्यता** में वृद्धकिरना है।
  - मशिन का उद्देश्य नम्निलखिति लक्ष्यों को प्राप्त करना है:
    - न्यायकि बुनयिादी ढाँचे में सुधार और प्रौद्योगकिी का लाभ उठाना।
    - अधीनस्थ न्यायपालकिा की शक्तमिें वृद्धकिरना।
    - अत्यधकि मुकदमेबाजी को कम करने के लयि वधिायी और नीतगित उपाय लागू करना।
    - तेज़ी से मामले नपिटाने के लयि अदालती प्रक्रयिाओं को पुनः तैयार करना।
- **ई-कोर्ट मशिन मोड परयिोजना:**
  - **यह न्यायालय प्रक्रयिाओं को सक्षम बनाने और पारदर्शति बढ़ाने के लयि सूचना और संचार प्रौद्योगकिी (Information and Communication Technology- ICT) का लाभ उठाता है।**
- **मुख्य भाग:**
  - **कम्प्यूटरीकृत न्यायालय:** 18,735 ज़लिा एवं अधीनस्थ न्यायालय।
  - 99.4% न्यायालय परसिरों में **वाइड एरयिा नेटवर्क (WAN) कनेक्टवििटी।**
  - **वीडयिो कॉन्फ्रेंसगि:** 3,240 न्यायलय 1,272 कारागारों से जुड़ीं।
  - 28 आभासी अदालतों की स्थापना की गई जो लाखों मामलों का नपिटारा करेंगी तथा भारी जुर्माना वसूल करेगी।
  - **7,210 करोड़ रुपए के नविश के साथ ई-कोर्ट परयिोजना** के तीसरे चरण का उद्देश्य न्यायपालकिा के लयि एकीकृत, कागज रहति मंच तैयार करना है, जसिसे दक्षता में और वृद्धहिोगी।
- **न्यायकि अवसंरचना वकिास:**
  - न्यायकि अवसंरचना के लयि 1993 से क्रयिान्वति **केंद्र प्रायोजति योजना (Centrally Sponsored Scheme-CSS)** न्यायालय हॉल, न्यायकि अधकिारयिों हेतु आवासीय क्वार्टर और अन्य आवश्यक सुवधिाओं के नर्िमाण में महत्त्वपूर्ण रही है।
- **प्रमुख उपलब्धयिों में शामलि हैं:**
  - न्यायालय हॉल और न्यायकि आवासीय इकाइयों के नर्िमाण में वृद्धि।
  - योजना के अंतर्गत 11,167.36 करोड़ रुपए जारी कयि गये।
  - न्यायालय हॉलों की संख्या वर्ष 2014 में 15,818 से बढ़कर वर्ष 2024 में 23,020 हो गई, तथा इसी अवधमिें आवासीय इकाइयों की संख्या 10,211 से बढ़कर 20,836 हो गई।
- **न्यायकि रक्तियिों को भरना:**
  - सरकार ने न्यायकि रक्तियिों, वशिेषकर उच्च न्यायपालकिा में को दूर करने के लयि ठोस प्रयास कयि हैं।
  - **वर्ष 2014 से 2024 के बीच सर्वोच्च न्यायालय** में 62 न्यायाधीश नयुिक्त कयि गए, जबकि **उच्च न्यायालयों** में 976 नए न्यायाधीश नयुिक्त कयि गए और 745 अतरिक्ति न्यायाधीशों को स्थायी कयिा गया।
  - परणिामस्वरूप उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 906 से बढ़कर 1,114 हो गई। **ज़लिा और अधीनस्थ न्यायालय** स्तर पर, न्यायकि अधकिारयिों की स्वीकृत संख्या वर्ष 2013 में 19,518 से बढ़कर वर्ष 2024 में 25,609 हो गई।
  - इन पहलों का उद्देश्य रक्तियिों को समय पर भरना सुनश्चिति करके न्यायकि दक्षता को बढ़ाना है, जसिसे अंततः न्यायकि प्रणाली मज़बूत होगी।
- **फास्ट ट्रैक कोर्ट:**
- **14वें** वत्ति आयोग **की सफिारशिों के अनुरूप वशिष श्रेणयिों के मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लयि** फास्ट ट्रैक कोर्ट **की स्थापना की गई है, जनिमें जघन्य अपराध, महलिाओं और बच्चों के खलिाफ अपराध तथा सांसदों/वधिायकों से जुड़े अपराध शामलि हैं।**
- प्रमुख घटनाक्रमों में शामलि हैं:
  - गंभीर अपराधों, महलिाओं और बच्चों से संबंधति मामलों के लयि 866 फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत हैं।
  - **410 वशिष्टि पोक्सो अदालतों** सहति 755 **फास्ट ट्रैक वशिष अदालतों ने** 2.53 लाख से अधकि मामलों का नपिटारा कयिा है।
- **वैकल्पकि ववािद समाधान (ADR) तंत्र:**
  - **सरकार ने मध्यस्थता, पंचनर्िणय** और **लोक अदालतों** जैसे ADR तंत्रों को मज़बूत कयिा है।
    - वाणज्यिकि **न्यायालय अधनियिम, 2015** वाणज्यिकि ववािदों में पूर्व-संस्थागत मध्यस्थता को अनवार्िय बनाता है, जसिसे समाधान की गतबिढ़ जाती है।
    - **मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधनियिम, 2015** ने मध्यस्थता के माध्यम से ववािदों को सुलझाने के लयि समयसीमा शुरू की है।
    - **मध्यस्थता अधनियिम, 2023** सविलि और वाणज्यिकि ववािदों में मध्यस्थता की सुवधिा प्रदान करता है।
    - नयिमति रूप से आयोजति **लोक अदालतों ने 2021 और 2023 के बीच 7.5 करोड़ से अधकि मामलों का नपिटारा कयिा है, जसिसे अदालत में लंबति मामलों को कम करने में मदद मलिी है।**
    - लंबति मामलों को कम करने तथा न्याय प्रदान करने में तेज़ी लाने के लयि कई कानूनों में संशोधन कयिा गया है।
    - इनमें **परक्राम्य लखिति (संशोधन) अधनियिम, 2018**, **वाणज्यिकि न्यायालय (संशोधन) अधनियिम, 2018**, **मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधनियिम, 2019** तथा **आपराधकि कानून (संशोधन) अधनियिम, 2018 शामलि हैं।**
    - वाणज्यिकि ववािदों के लयि पूर्व-संस्था मध्यस्थता और नपिटान (PIMS) को अनवार्िय बनाने हेतु वाणज्यिकि न्यायालय अधनियिम, 2015 में संशोधन कयिा गया तथा **मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) अधनियिम, 2015 का** उद्देश्य सख्त समयसीमा नर्िधारति करके ववािद समाधान में तेज़ी लाना है।
- **टेली-लॉ कार्यक्रम:**
  - इसे वर्ष 2017 में वीडयिो कॉन्फ्रेंसगि, टेलीफोन और मोबाइल ऐप के माध्यम से वंचति समुदायों तक कानूनी सलाह की पहुँच को सक्षम करने के लयि लॉन्च कयिा गया था।
  - वर्ष 2024 तक 90 लाख से अधकि मामले पंजीकृत कयि जाएंगे, जनिमें से लगभग 90 लाख मामलों में सलाह दी जा सकेगी।

- **न्याय बंधु प्रो बोनो फ्रेमवर्क:**
  - **न्यायबंधु प्लेटफॉर्म** और [उमंग ऐप](#) का निर्माण वकीलों को मुफ्त कानूनी सेवाओं की आवश्यकता वाले नागरिकों से जोड़ने के लिये किया गया है।
  - **न्याय बंधु** भारत का पहला **निःशुल्क कानूनी ढाँचा** है, जहाँ वकील वंचित समूहों को **निःशुल्क कानूनी सेवाएँ** प्रदान करते हैं।
- वर्ष 2024 तक 24 राज्य बार काउंसिलों और 22 उच्च न्यायालयों में 11,000 से अधिक अधिवक्ताओं ने निःशुल्क सेवाएँ देने के लिये स्वेच्छा से कार्य करते हैं।
- **भावी अधिवक्ताओं के बीच सार्वजनिक सेवा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये 89 विधि विद्यालयों में प्रो बोनो क्लब स्थापित किये गए हैं।**

न्यायिक सुधार की प्रक्रिया में चुनौतियाँ क्या हैं?

- **बदलाव का प्रतिरोध**: न्यायिक सुधारों में एक महत्त्वपूर्ण बाधा न्यायपालिका और न्यायालय के कर्मचारियों दोनों की ओर से नई प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं को अपनाने का प्रतिरोध है। व्यवस्था के भीतर कई लोग पारंपरिक तरीकों के अभ्यस्त हैं, जो सुधारों को अपनाने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है।
- **वित्तीय बाधाएँ:** पर्याप्त धन की कमी न्यायिक सुधारों के कार्यान्वयन में एक बड़ी बाधा है। इससे डिजिटल बुनियादी ढाँचे को अपनाने, नई अदालती सुविधाओं के निर्माण और न्यायिक प्रणाली के समग्र आधुनिकीकरण पर असर पड़ता है।
- **कार्यपालिका और विधायिका के साथ समन्वय:** न्यायिक सुधारों के लिये अक्सर न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है। सरकार की इन शाखाओं के बीच समन्वय की कमी एवं निर्णय लेने में देरी से सुधार प्रक्रिया में काफी बाधा आ सकती है।
- **जनता के विश्वास में कमी:** न्यायिक सुधारों की प्रभावशीलता के लिये न्यायपालिका में जनता का विश्वास महत्त्वपूर्ण है। हालाँकि न्यायिक नियुक्तियों और जवाबदेही उपायों में अस्पष्टता जैसे मुद्दों ने भरोसे में कमी उत्पन्न की है, जो न्यायिक प्रणाली की विश्वसनीयता को कमज़ोर करती है और सुधार प्रयासों में बाधा डालती है।

आगे की राह

- **प्रौद्योगिकी के माध्यम से मामला प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना:**
  - डिजिटलीकरण, ऑनलाइन केस फाइलिंग और AI-सहायता प्राप्त केस प्रबंधन के लिये ई-कोर्ट परियोजना का विस्तार करना।
  - अदालती आदेशों के त्वरित संप्रेषण हेतु **FASTER (इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का तीव्र और सुरक्षित प्रसारण)** जैसी प्रणालियों को लागू करना तथा प्रभावी क्रियान्वयन के लिये न्यायिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना।
- **वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) प्रणाली:** मध्यस्थता, पंचनिर्णय और लोक अदालतों जैसे ADR प्रणाली को संवर्द्धित और सुदृढ़ करने से औपचारिक न्यायालयों पर भार काफी कम हो सकता है।
  - [मध्यस्थता अधिनियम, 2023](#), मध्यस्थता के लिये एक सांविधिक आधार प्रदान करता है, परंतु इसके कार्यान्वयन में तेज़ी लाने की आवश्यकता है।
- **न्यायिक नियुक्तियाँ एवं रिक्तियाँ:**
  - **नियुक्ति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, विविधता के लिये कॉलेजियम प्रणाली में** सुधार करने, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने तथा रिक्तियों को कम करने के लिये स्वीकृत पदों को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- **विशेष न्यायालयों और न्यायाधिकरणों की स्थापना:**
  - **राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT)** और **POCSO अदालतों जैसे विशेष न्यायालयों का विस्तार** IPR तथा पर्यावरण कानून जैसे क्षेत्रों में भी करने की आवश्यकता है, ताकि तीव्र समाधान के लिये डोमेन विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सके।
- **कानूनी सहायता और न्याय तक पहुँच में सुधार:**
  - [राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण](#) **को** मज़बूत करने, सचल विधिक क्लीनिकों का विस्तार करने तथा हाशिए पर पड़े समुदायों के लिये टेली-लॉ जैसी पहल को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- **न्यायिक पहुँच और सार्वजनिक शिक्षा:**
  - अनावश्यक मुकदमेबाजी को कम करने और कानूनी जागरूकता में सुधार करने के लिये लाइव स्ट्रीमिंग, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय, सार्वजनिक व्याख्यान और शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से सार्वजनिक सहभागिता को संवर्द्धित किया जा सकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

??????????

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

1. भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन के परे कर दिया।
2. भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 व 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

प्रश्न: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2013)

1. इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमज़ोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएँ उपलब्ध कराना है।
2. यह देश-भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिये राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 व 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

?????

प्रश्न: भारत में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2017)

प्रश्न: निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन है? निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (एन.ए.एल.एस.ए.) की भूमिका का आकलन कीजिये। (2023)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/judicial-reforms